न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर जिला जोधपुर(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :–श्री नेमा राम, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 01/2024
जीसीएमएस नं. :– 2024/34

अपीलांटः– बनाम रेस्पोडेन्ट्स :–

1.किशनाराम पुत्र रामलाल
2.सीतादेवी पुत्र रामलाल
जातियान जाट ग्राम बोरून्दा
तहसील पीपाड़शहर जिला जोधपुर।

1.पूनी पत्नि रामकरण
जाति जाट निवासी ग्राम
बोरूंदा तहसील पीपाड़ शहर
जिला जोधपुर।
2.सरंपच, जरिये ग्राम पंचायत
बोरूंदा तहसील पीपाडशहर
जिला जोधपुर राजस्थान।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता : दर्ज दिनांक :–25.1.2024
श्री ओमप्रकाश कच्छावाहा अपीलांट की ओर से
श्री निर्मल कटारिया रेस्पो संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक : 16/04/2026

अपीलांट ने एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि ग्राम बोरून्दा तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 152/8 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ कृषि भूमि के खातेदार अपीलान्टस की दादी/सास केसी पत्नि पेमाराम खातेदार काश्तकार थी। अपीलान्टस की दादी/सास केसी पत्नि पेमाराम ने उक्त भूमि में से 01 बीघा 08 बिस्वा भूमि बैचान करने हेतु चिमनाराम पुत्र प्रतापराम जाति जाट निवासी ग्राम बोरून्दा वालें को अपना आममुख्तियार नियुक्त किया हुआ था। चिमनाराम ने आममुख्तियार की हैसियत से उक्त भूमि में से 01 बीघा 08 बिस्वा भूमि का बैचान रेस्पोडेन्ट संख्या एक के पक्ष में दिनांक 24.02.2009 को निष्पादित कर दिया जो रजिस्टर्ड बैचाननामा उपपंजीयक कार्यालय बिलाडा मे पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 271 में पृष्ठ संख्या 125 कम संख्या 2009000711 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 768 के पृष्ठ संख्या 177 से 184 पर चस्पा किया गया। बैचाननामा की प्रति संलग्न है। पंजीबद्व बैचाननामा अनुसार हल्का पटवारी ने नामान्तकरण स्वीकृत करते समय पंजीबद्व बैचाननामा का अवलोकन कियें बिना ही खसरा नबंर 152/8 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा मे से बैचान की गई 01 बीघा 08 बिस्वा भूमि का नामान्तकरण नही खोलकर भूलवश सहवन से सम्पूर्ण खसरा नबंर 152/8 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा का नामान्तकरण गैर कानूनी तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या एक के पक्ष में स्वीकृत कर दिया जबकि आज भी मौके पर अपीलांट्स की रहवासीय ढाणी उक्त भूमि में बनी हुई है जिसमें बिजली सबंध लिया हुआ है। उक्त रहवासीय ढाणी में अपीलांट्स परिवार सहित निवास करते आये है। अपीलांट्स की दादी/सास का स्वर्गवास वर्ष 2009 में हो गया था। रेस्पोडेन्ट संख्या एक के पक्ष में तथाकथित नामान्तकरण संख्या 5597 विधि विरूद्ध गैर कानूनी रूप से स्वीकृत किया गया जिसके विरूद्ध उक्त अपील प्रस्तुत की गई। ग्राम पंचायत बोरून्दा ने नामान्तकरण जैर अपील स्वीकार करने में कानूनी एव वाक्याती भूल की है। ग्राम पंचायत बोरुन्दा

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

ने नामान्तकरण जैर अपील स्वीकार करने से पूर्व अपीलान्टस की दादी/सास को कोई नोटिस ही नही दिया गया तथा तमाम कार्यवाही बिना सुनवाई किये बाले बाले की गई तथा बैचाननामा का अवलोकन किये बिना ही नामान्तकरण की कार्यवाही की गई है जबकि मृतक खातेदार स्व. केसी ने उक्त खसरा नबंर 152/8 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा में से मात्र 01 बीघा 08 बिस्वा भूमि का बैचान किया था जो पंजीबद्ध बैचाननामा से स्पष्टतया प्रमाणित है जिसको नजरअंदाज करते हुए विधि विरूद्ध तरीके से हल्का पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक व. ग्राम पंचायत बोरून्दा ने तथाकथित नामान्तकरण गलत रूप से स्वीकार किया है जो काबिज निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत व हल्का पटवारी ने नामातकरण जैर अपील स्वीकार करने से पुर्व पंजीबद्व बैचाननामा के बारे में विधिवत् व कोई जांच ही नही की तथा न ही मौके पर कब्जा काश्त की जांच की है। मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या एक के नाम ही सम्पूर्ण भूमि का नामातंकरण स्वीकार कर दिया। इस प्रकार नामान्तकरण जैर अपील कानूनी प्रावधानो की मंशा के विपरीत स्वीकार किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। नामान्तरकण जैर अपील के जरिये संरपच ग्राम पंचायत बोरून्दा ने अपीलान्टस के पुश्तैनी जायज खातेदारी अधिकारों से वंचित करने का असफल प्रयास किया है। नामान्तरकरण जैर अपील के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि हल्का पटवारी व ग्राम पंचायत बोरून्दा ने नामान्तरण खोलते समय पंजीबद्ध बैचाननामा का सही अवलोकन नही किया जबकि ग्राम पंचायत को चाहिए था वे पंजीबद्ध बैचाननामा का अवलोकन करके बैचान की गई भूमि 01 बीघा 08 बिस्वा का ही रेस्पोडेन्ट संख्या एक के पक्ष में नामान्तरण की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। तमाम कार्यवाही बाले बाले एक तरफा की गई है इसलिए नामातकरण जैर अपील काबिल खारिज फरमाने योग्य है। यह है कि अपीलान्टस आज दिन भी खसरा नबंर 152/8 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा में शेष रही भूमि पर काबिज है तथा उक्त भूमि मे बने अपने रहवासीय मकानों में निवास करते आये है। हल्का पटवारी एवं ग्राम पंचायत ने वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्टस के कब्जे के बारे में बिना कोई जाचं किये नामान्तरण की कार्यवाही नियम विरूद्ध की है एवं विधि के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना की है । अपील पेश कर न्यायालय हाजा से अपील स्वीकार फरमाई जाकर एव अपीलाधीन नामातकरण संख्या 5597 दिनांक 20.05.2009 निरस्त फरमाया जाकर खसरा नबंर 152/8 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से 01 बीघा 08 बिस्वा भूमि का ही नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट संख्या एक के नाम स्वीकृत किया जाने व शेष रही भूमि अपीलांट्स की दादी/सास केसी पत्नि पेमाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद कियें जाने के आदेश तहसीलदार पीपाड शहर को फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

हमने अपीलांट के अपील को दर्ज रजिस्टर किया । रेस्पोडेन्ट्स को समन जारी किये गये । रेस्पोडेन्ट 01 की ओर से अधिवक्ता निर्मल कटारिया ने वकालतनामा पेश किया एवं अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने पर अनापत्ति जाहिर की। रेस्पो. 02 का बाद समन तामिल स्वयं/प्रतिनिधि अनुपस्थित, जिस पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने बहस वकुलाय सुनी। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बोरून्दा का नामान्तरकरण संख्या 5597 दिनांक 20/05/2009 खारिज फरमाया जाकर रेस्पो संख्या 01 के नाम दर्ज 02 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से 01 बीघा 07 बिस्वा भूमि अपीलान्ट की दादी/सास केसी पत्नी पेमाराम के नाम पुनः दर्ज किये जाने के आदेश फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजो, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन एवं बहस वकुलाय पर मनन किया गया। रेस्पो 01 की ओर से अधिवक्ता ने अपील स्वीकार किये जाने पर अनापत्ति जाहिर की जिससे यह स्पष्ट होता है कि रेस्पो संख्या 01 को उनके नाम दर्ज 02 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से 01 बीघा 07 बिस्वा भूमि पुनः अपीलान्ट की दादी/सास के नाम दर्ज होती है तो कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य होने से अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बोरून्दा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 5597 दिनांक 20/05/2009 पारित किया गया था, जिसमें सेवन से रेस्पो संख्या 01 के नाम 02 बीघा 15 बिस्वा भूमि दर्ज हो गई जबकि रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 24/02/2009 के अनुसार 01 बीघा 08 बिस्वा भूमि ही दर्ज होनी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 5597 खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम बोरून्दा की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 152/8 में नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही करे। तहसीलदार पीपाड़ शहर को तहरीर जारी हो।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 16/04/2026 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर